17.02.17

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री सागरसिंह कंषाना। प्रतिवादी कमांक 1, 3, 4 व 5 अनिवार्हित। प्रतिवादी कमांक 2 व 6 एकपक्षीय।

वादी को प्रतिवादी कुमांक 1, 3 लगायत 5 की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए तलबाना पेश करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया था लेकिन तदोपरांत भी वादी ने तलबाना पेश नहीं किया। पूर्व में दिनांक 19.12.16 को भी वादी को तलबाना पेश करने के लिए अंतिम अवसर दिया जा चुका है। संलग्न अभिलेख के अनुसार विगत 6 माहसे वादी ने तलबाना नहीं दिया है। अतः वादी प्रकरण के अभियोजन में रूचिगत नहीं है। अतः आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के अधीन आदेश 17 नियम 3 सीपीसी के अनुसार तलबाना दिए जाने का कार्य करने के लिए अनुज्ञात समय में असफल रहने के परिणामस्वरूप वाद निरस्त किया जाता है।

े व्यय तालिका बनाई जाये। वादी अपना व्यय स्वयं वहन करेगा। प्रकरण परिणाम अंकित कर अभिलेखागार भेजा जाये।

> सही / — गोपेश गर्ग 1—सी.जे.—2.,गोहद

STINATA PARTA PARTA STATE